

## राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर

आज्ञा


क्रमांक:—स्था.(रा.न्या.से.)/स.प.अ./ 209 /2024 दिनांक 28.08.2024

श्रीमती श्वेता गुप्ता (RJ00427), विशिष्ट न्यायालय (साम्प्रदायिक दंगे प्रकरण), जयपुर महानगर—प्रथम को दिनांक 17.09.2024 से 07.10.2024 तक 21 दिनों का संतान परवरिश अवकाश (Child Care Leave) दिनांक 13.09.2024 से 16.09.2024 के राजपत्रित अवकाशों के उपभोग की अनुमति सहित स्वीकृत किया जाता है।

श्रीमती गुप्ता की अनुपस्थिति में विशिष्ट न्यायालय (आवश्यक वस्तु अधिनियम) जयपुर महानगर—द्वितीय इनके आवश्यक एवं दैनिक कार्य की देखभाल करेंगे।

अवकाश से लौटने पर इनकी नियुक्ति विशिष्ट न्यायालय (साम्प्रदायिक दंगे प्रकरण), जयपुर महानगर—प्रथम के पद पर ही होने की संभावना है।

आज्ञा से

  
रजिस्ट्रार (वर्गीकरण)

क्रमांक:—स्था.बी.2(4)/59/2002/ 6748

दिनांक 28.08.2024

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :

1. प्रमुख शासन सचिव, विधि एवं विधिक कार्य विभाग राजस्थान, जयपुर।
2. जिला एवं सेशन न्यायाधीश, जयपुर महानगर—प्रथम को उनके पत्रांक 14 दिनांक 05.08.2024 के सन्दर्भ में।
3. श्रीमती श्वेता गुप्ता (RJ00427), विशिष्ट न्यायालय (साम्प्रदायिक दंगे प्रकरण), जयपुर महानगर—प्रथम
4. विशिष्ट न्यायालय (साम्प्रदायिक दंगे प्रकरण), जयपुर महानगर—प्रथम।
5. विशिष्ट न्यायालय (आवश्यक वस्तु अधिनियम) जयपुर महानगर—द्वितीय।

  
28/8/2024  
सहायक रजिस्ट्रार